भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 763
दिनांक 02 दिसंबर, 2024

एलपीजी गैस सिलेंडर संबंधी दुर्घटनाओं के आंकड़े

763 # श्री नीरज डांगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडरों संबंधी दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक व जन हानि का राज्य-वार आंकड़ा उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडरों के कारण हुई दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व मृतकों के परिजनों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या अत्याधुनिक तकनीकी प्रयास किए जा रहे है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडरों के कारण घरों में होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में बीमा देने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) : घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दुर्घटना अनेक कारणों से होती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सिलेंडरों से चोरी, घरेलू से गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में स्थानान्तरण, गैर-अनुमोन प्राप्त/गैर-मानकीकृत उपकरणों का उपयोग, उपभोक्ताओं के परिसरों में अनुचित रूप से हैंडलिंग, आवधिक रूप से हॉजपाइप को नहीं बदलना जिसके कारण उसमें टूट-फूट होना, ओ-रिंग्स का असफल होना, एलपीजी हॉज से रिसाव, स्टोव से रिसाव, अन्य कारणों के कारण लगने वाली आग के दौरान अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होने के कारण एलपीजी सिलेंडर का फटना आदि शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनेक कारणों की वजह से एलपीजी से होने वाली दुर्घटनाओं की कुल संख्या **अनुलग्नक-क** में दी गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडरों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं में आर्थिक और मानवीय क्षति के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-ख** में दिए गए हैं।

एलपीजी से संबंधित सभी सूचित की गई दुर्घटनाओं की जांच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों(ओएमसीज) द्वारा की जाती है और विस्तृत विश्लेषण के बाद दुर्घटनाओं के लिए संभावित कारणों का पता लगाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को यह निर्देश दिया है कि एलपीजी कनेक्शनों की स्थापना करने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने और संतुष्ट होने के बाद ही एलपीजी कनेक्शनों को जारी किया जाए। एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, मानदंड और उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-

(i) गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत एलपीजी सिलिंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर की विनिर्माण इकाइयों और इन उपकरणों के डिजाइन, भंडारण परिसर का लाइसेंस, सिलेंडर का परीक्षण और भरने आदि के लिए अनुमोदन विनियमित प्रदान करना किया गया है।

(ii) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन), आदेश 2000 के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग को प्रशासित किया जाता है।

(iii) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मानदंडों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की समय-समय पर सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है।

(iv) एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित 'क्या करें और क्या न करें' का चित्रमय लैमिनेटेड सुरक्षा कार्ड दिया जाता है। प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा ग्राहक के परिसर में एलपीजी कनेक्शन इंस्टॉल किया जाता है।

(v) एलपीजी संबंधी सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन किया जाता है। एलपीजी रिसाव की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए चौबीस घंटों के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1906) की स्थापना करना।

(vi) ऑडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनर/होर्डिंग, लीफलेट, पैम्फलेट आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

vii) पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांवों में प्रधान मंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाना।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से थीम ''खुशियां अब तीन गुना'' के अन्तर्गत मार्च 2014 में ''आधारभूत सुरक्षा जांच'' अभियान चलाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जनजागरुकता पहलें द्वारा अनुपूरित करना, ग्राहक के परिसर स्थल पर जाकर सुरक्षा संबंधी जांच करना और

सुरक्षा हॉज को बदलना। इस अभियान के तहत 30 अक्टूबर, 2024 तक, उपभोक्ता के लिए बिना किसी लागत के 8.0 करोड़ से अधिक मुफ्त बेसिक सुरक्षा जांचो और 3.33 करोड़ से अधिक एलपीजी हॉज छूट दरों पर बदला गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्र सुरक्षा पहलें जैसे एलपीजी पंचायतों और स्कूलों में एलपीजी सुरक्षा क्लिनिकों और साथ ही साथ आम जनता तक पहुंचने के लिए ऑडियो-विजुअल (एवी) सामाग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इन एवीज को पूरे सोशल मीडिया के मंच पर भी शेयर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके और इसका प्रभाव पड़ सके।

ओएमसीज 'तेल उद्योगों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी नीति' के तहत व्यापक बीमा पॉलिसी लेती हैं जो ओएमसीज में पंजीकृत सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को कवर करती हैं। ओएमसीज द्वारा ली गई सार्वजनिक जिम्मेदारी बीमा नीति उन दुर्घटनाओं में हुए नुकसानों को कवर करती है जिनमें आग लगने का बुनियादी कारण एलपीजी होती है। वर्तमान में पॉलिसी में निम्नलिखित का प्रावधान है:

(i) मृत्यु की स्थिति में 6,00,000/- रुपए प्रति व्यक्ति का निजी दुर्घटना कवर

(ii) प्रत्येक घटना में अधिकतम 2,00,000/- रुपए प्रति व्यक्ति सहित 30 लाख रुपए का चिकित्सा व्यय कवर किया जाता है।

(iii) संपत्ति का नुकसान होने की स्थिति में, इसमें प्राधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में अधिकतम 2,00,000/- रुपए प्रति घटना कवर किया जाता है।

अनुलग्नक-क

एलपीजी गैस सिलेंडर संबंधी दुर्घटनाओं के आंकड़े संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष	दुर्घटना की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	अभी तक उपभोक्ताओं को भुगतान किए गए मुआवजे की धनराशि (करोड़ रुपये में)
2021-22	606	144	22.09
2022-23	649	173	23.27
2023-24	430	107	18.14
2024-25 (सितम्बर, 24 तक)	184	49	1.16

स्रोत: औद्योगिक क्षेत्र इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-ख

'एलपीजी गैस सिलेंडर संबंधी दुर्घटनाओं के आंकड़े' के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

	21-22			22-23			23-24			अप्रैल' 24 - सितंबर' 24		
राज्य	दुर्घटना की संख्या	मौतों की संख्या	मुआवज़े की राशि (करोड़ रुपये में)	दुर्घटना की संख्या	मौतों की संख्या	मुआवज़े की राशि (करोड़ रुपये में)	दुर्घटना की संख्या	मौतों की संख्या	मुआवज़े की राशि (करोड़ रुपये में)	दुर्घटना की संख्या	मौतों की संख्या	मुआवज़े की राशि (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
आंध्र प्रदेश	36	20	1.66	43	6	1.70	14	7	2.47	3	2	0.10
अरुणाचल प्रदेश	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
असम	9	0	0.11	4	2	0.27	4	1	0.03	3	0	-
बिहार	36	11	2.09	51	21	1.73	34	4	1.44	13	11	0.08
चंडीगढ़	1	0	-	0	0	-	0	0	0.00	1	0	-
छत्तीसगढ	3	1	0.16	6	0	0.09	7	1	0.17	3	0	0.02
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
दमन और दीव	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
दिल्ली	3	0	0.63	6	1	0.24	6	1	0.27	0	0	-
गोवा	0	0	-	1	0	-	0	0	-	2	0	-
गुजरात	33	7	0.77	36	5	0.54	20	3	0.94	7	4	-
हरियाणा	26	1	0.25	20	2	0.58	10	2	0.15	7	0	0.04
हिमाचल प्रदेश	2	0	0.21	0	0	0.07	2	0	0.01	0	0	-
जम्मू और कश्मीर	7	0	0.07	5	0	0.34	4	0	0.15	2	0	-
झारखंड	4	0	0.26	25	2	0.20	8	1	0.44	1	0	-
कर्नाटक	43	11	1.50	38	9	1.73	23	8	1.41	11	8	0.11
केरल	26	2	0.32	26	2	0.64	6	1	0.28	7	0	0.02
लक्षद्वीप	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
मध्य प्रदेश	29	5	0.67	27	1	0.59	29	6	0.47	11	0	0.03
महाराष्ट्र	99	22	4.34	85	9	2.55	81	23	2.84	42	9	0.15
मणिपुर	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
मेघालय	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
मिजोरम	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
नगालैंड	1	0	0.02	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ओडिशा	17	3	1.25	26	6	0.62	22	5	0.30	9	0	0.09
पुडुचेरी	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	1	0.00
पंजाब	7	0	0.43	9	7	0.45	12	2	0.14	6	1	0.08
राजस्थान	43	15	1.67	63	49	4.07	18	5	1.12	6	2	0.07
सिक्किम	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
तमिलनाडु	52	16	2.17	73	16	2.60	34	16	0.96	10	0	0.15
तेलंगाना	12	0	0.24	23	9	0.80	24	7	1.22	7	2	0.02
त्रिपुरा	3	1	0.11	1	0	0.04	0	0	-	0	0	-
उत्तर प्रदेश	81	19	1.67	58	17	2.23	46	11	1.97	23	7	0.15

उत्तराखंड	9	2	**0.56**	6	0	**0.10**	8	0	**0.07**	2	1	**-**
पश्चिम बंगाल	24	8	**0.95**	17	9	**1.08**	18	3	**1.30**	7	1	**0.06**
कुल योग	**606**	**144**	**22.09**	**649**	**173**	**23.27**	**430**	**107**	**18.14**	**184**	**49**	**1.16**

स्रोत: औद्योगिक क्षेत्र इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

****